

**प्रारूप-3**  
**भाग-2 (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाएगा)**

16. परियोजना या स्कीम की अवस्थिति :— जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र पिथौरागढ़ के अन्तर्गत सुकौली गणकोट से रावलगाँव मोटर मार्ग का निर्माण।

- (i) राज्य / संघराज्य क्षेत्र
  - (ii) जिला
  - (iii) जिला वन प्रभाग
  - (iv) पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र
  - उत्तराखण्ड।
  - पिथौरागढ़।
  - पिथौरागढ़।
  - शून्य है 0 वन पंचायत ,  
0.765 है 0 राज्य भूमि।
  - संलग्न है।
17. पूर्वक्षण के लिए पहचानी गई वन भूमि की विधिक प्रास्थिति:
18. अपवर्जन के लिए प्रस्तावित वन भूमि में उपलब्ध वनस्पति का ब्यौरा:
- (i) वन का प्रकार
  - (ii) वनस्पति का औसत पूर्ण धनत्व
  - (iii) प्रजातिवार स्थानीय या वैज्ञानिक नाम और गिराए जाने के लिए अपेक्षित वृक्षों की परिणाम — संलग्न है।
  - (iv) पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली वन भूमि के लिए कार्यकरण योजना का नुस्खा —
19. भूक्षण के लिए पूर्वक्षण हेतु उपयोग की जाने वाली वन भूमि की स्थलाकृति और क्षीणता पर संक्षिप्त टिप्पण — नहीं।
20. वन भूमि की सीमा से पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की लगभग दूरी : — 0.85 किमी।
21. वन्य जीव की दृष्टि से पूर्वक्षण में उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की महत्ता : —
- (i) पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के लगभग विद्यमान वन्यजीव का ब्यौरा : संलग्न है।
  - (ii) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण, व्याघ्र रिजर्व, हाथी कोरीडोर वन्यजीव अत्रवास गलियारे आदि के भाग का निर्माण करते हैं (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के ब्यौरे और उपाबद्ध किए जाने में मुख्य वन्य जीव वार्डन की ओर टीका टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए) — नहीं।
  - (iii) क्या किसी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से दस कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्य वन्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए) — नहीं।
  - (iv) क्या किसी राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे वन्य जीव उत्त्रवास आदि पूर्वक्षण के लिए उपयोजित की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से एक कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्य वन्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए) — नहीं।
  - (v) क्या क्षेत्र में वनस्पति और जीव जंतु के अलग या खतरे में अलग किरम के खतरे की प्रजातियां हैं, यदि हैं तो उसके ब्यौरे — नहीं।
22. क्या क्षेत्र में कोई संरक्षित पुरातत्वीय या विरासत रथल या प्रतिरक्षात्मक रथापन या कोई महत्वपूर्ण संस्मारक अवस्थित है (यदि ऐसा है तो उपाबद्ध किए जाने के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एन ओ सी) के साथ उसका ब्यौरा दें) — नहीं।
23. पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के विस्तार की युक्तियुक्तता के बारे में टीका टिप्पणियां दें :
- (i) क्या भाग- 1 के पैरा 6 और पैरा 7 में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यथाप्रस्तावित वन भूमि की अपेक्षा अपरिहार्य है और परियोजना के लिए अति न्यूनतम है। — है।
  - (ii) यदि नहीं तो वन भूमि के सिफारिश किए गए क्षेत्र जिसके पूर्वक्षण के लिए उपयोग किया जा सकता है।
24. किए गए अतिक्रमण के ब्यौरे :
- (i) क्या अधिनियम या अधिनियम के अधीन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अतिक्रमण में किसी कार्य को किया गया है (हां/नहीं) — नहीं।
  - (ii) यदि हां, की गई कार्य अवधि, अतिक्रमण में अंतर्वलित वन भूमि, अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) का नाम, पते और पदनाम सहित अतिक्रमण के ब्यौरे और अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) के विरुद्ध की गई कार्यवाही
  - (iii) क्या अतिक्रमण में कार्य अब भी प्रगति में है (हां/नहीं) — नहीं।
25. क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे :
- (i) क्षतिपूरक वनरोपण बढ़ाव के लिए पहचान की गई वन भूमि की विधिक प्रास्थिति। — वर्तमान में राज्य सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में।
  - (ii) अवस्थिति, सर्वेक्षण या कम्पार्टमेंट या खसरा संख्या क्षेत्र और क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वन क्षेत्र या अवनत वन जैसे ब्यौरे दें।
  - (iii) क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वनीकरण या अवनत वन दर्शित करने वाले 1:50,000 माप के मूल में रथल परत भारत का सर्वेक्षण और सामीक्षण वन सीमाएं संलग्न हैं। — है।

(iv) रोपित की जाने वाली प्रजातियों कार्यन्वयन अभिकरण, समय सूची, लागत संरचना आदि सहित क्षतिपूरक बनरोपण स्कीम के ब्यौरे संलग्न हैं (हाँ/नहीं)। — हाँ।

(v) क्षतिपूरक बनरोपण स्कीम के लिए कुल वित्तीय उपरिव्यय : — लागू नहीं है।

(vi) क्या क्षतिपूरक बनरोपण के लिए और प्रबंधन के दृष्टिकोणों से पहचान कर किए गए क्षेत्र की युक्तियुक्तता के बारे में संबद्ध उपवन संरक्षक से प्रमाण—पत्र संलग्न हैं (हाँ/नहीं)।

6. बनस्पति और जीव जंतु पर प्रस्तावित कियाकलापों के समाधान से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में लाने वाले उप बन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है (हाँ/नहीं)। — हाँ।


27. स्वीकृति या अन्यथा कारणों के साथ प्रस्ताव के लिए उप बन संरक्षक की विनिर्दिष्ट सिफारिशों प्रस्ताव संस्कृत सं

अमृसारित प्रयोगता संज्ञेता छाता भारत संस्कार व

स्थान: १५८००

तारीख: २५-६-२०१४ रविवार

बन क्षेत्राधिकारी  
प्रधाराधार



हस्ताक्षर

नाम  
शासकीय मुद्रा